पत्रांक–3 / विविध–01–36 / 2012 433 (3)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएँ,बिहार
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना / दिनांक 20/07 / 2012

विषय– सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति / जनजाति के कर्मचारियों / पदाधिकारियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में उनसे संबंधित गुणात्मक आँकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 126 / प्र0 स0 को0 दिनांक 22.06.2012 की छाया प्रति अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित आँकड़ा संलग्न विहित प्रपत्र में आज ही फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनु0–यथोक्त ।

विश्वासभाजन
19/7/2012
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

अत्यावश्यक

पत्र संख्या–11/आ0नी0–I–04/2012 सा0प्र0 126/प्र0स0/ओ0

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 22-06-2012

विषयः–सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में उनसे संबंधित गुणात्मक आँकड़ा (*Quantifiable Data*) उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि रिट पिटिशन (सिविल) न0 61/2002, एम0 नागराज एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय तथा सदृश अन्य मामलों में पारित न्यायादेश एवं सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–5649/2008 अरूण प्रसाद एवं अन्य तथा अन्य सदृश मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण एवं वरीयता का लाभ देने के क्रम में निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर आँकड़े संग्रहित करने का निदेश हैः–

1.) *Backwardness*
2.) *Inadequacy of representation*
3.) *Overall administrative efficiency*

न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई करने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। इस क्रम में पिछड़ापन की सीमा का निर्धारण एवं प्रशासनिक दक्षता [क्रमशः कंडिका – (i) एवं (ii)] संबंधी कार्रवाई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व संबंधी आँकडों (कंडिका – ii) का संग्रहण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। ऑकड़े संग्रहण के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसे नोडल विभाग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों (मुख्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) में कार्यरत कर्मियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मियों सहित) संबंधी आँकड़े (कंडिका– ii) संलग्न विहित प्रपत्र में एक माह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

433(3)
20.7.12

Path-PK\SEC-11\143 21 06 2012.docx

विहित प्रपत्र

प्रतिनिधित्व संबंधी ऑकड़े

1. विभाग का नामः–

2. कार्यालय का नामः–

3. सेवा/संवर्ग का नामः–

4. पद/पद समूह की कोटिः–

कुल स्वीकृत बल	कुल कार्यरत बल	अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या एवं प्रतिशत	अनुसूचित जाति के कोटे के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत	वरीयता के विरूद्ध कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कर्मियों की कुल संख्या एवं प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के कोटे के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत	वरीयता के विरूद्ध कार्यरत अनुसूचित जनजाति के कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत	अभ्युक्ति

स्थानः–.....

तिथिः–.....

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम

मुहर

4330(3)
26/9/12